15.42 hrs.

PREVENTION OF COW SLAUGHTER BILL

by Shri Bharat Singh Chowhan

श्री भारत सिंह चौहान : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में गो वध रोकने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय, जो गोहत्या निरोधक बिल मैं पेश कर रहा हूं, वह भारत की उस महान भावना का प्रतीक है, जो आज से नहीं बल्कि पिछले पांच हजार वर्ष से पूर्व से चली आ रही है। इस बिल के पीछे भारत के करोड़ों लोगों का आदर्श और भावना है। स्वराज्य से पूर्व भी गोमाता की रक्षा के सम्बन्ध में भारत का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत-वासियों का सम्बन्ध गोमाता से केवल एक पशु के नाते नहीं, अपितु परिवार के एक सदस्य के नाते रहा है। हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में गोमाता को प्रशंसा और महत्व का स्थान प्राप्त रहा है। वैदिक काल में गो माता को इस देश की सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता था।

15.43 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

जो माननीय सदस्य सामने बैठे हुए हैं, उन के दिलों में भी यही भावना है कि भारत वर्ष में गोहत्या बन्द हो। जहां तक मैं सोचता हूं, किसी की भी यह इच्छा नहीं है कि भारतवर्ष में गोहत्या हो। लेकिन हम देखते हैं कि आजादी के बाद भी इस राष्ट्रीय समस्या को हल नहीं किया गया है। भारत की आजादी के संघर्ष के समय भी हमारे बड़े बड़े नेताओं ने गोमाता के बारे में जो विचार व्यक्त किये, और इस प्रकार जनता की सहानुभूति प्राप्त की, उन्हें देखते हुए आजादी के बाद इस समस्या को हल करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं, वे बिल्कुल ही अपर्याप्त हैं। इस सम्बन्ध में जो नीति अपनाई गई है, वह निन्दनीय है।

हम ने जब देखा तो उस में ऐसा नजर आता है कि इसके पीछे हमारी जो अशोक इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने की है वही गलत है। मैं वैदिक काल के कुछ श्लोक आपके सामने उद्धृत करूंगा क्यों कि कल ही जन्माष्टमी थी और हमारे नेता लोग, हमारे मंत्रिगण और हमारे बहुत से माननीय सदस्य उस में भाग लिए होंगे और उस में उन्होंने बड़ी प्रशंसा की होगी। तो वह आदर तो जरूर करते हैं लेकिन जिनके हाथ में यह बागडोर है उन लोगों से अभी तक गोमाता की रक्षा के लिए जो कदम उठाना चाहिए, जो यहां की करोड़ों जनता की भावनाओं का आदर करना चाहिए, वह नहीं किया हैं। यह बिल ऐसे समय पर आया कि जो जन्माष्टमी का दूसरा दिन हैं। यह एक अच्छा शुभ लक्षण है कि हमारे ट्रेजरी बेंच वालों में एक आत्मा जागी। हम जो हजारों वर्ष की भावनाएं हैं इस देश की जनता की और हमारे बड़े बड़े नेता लोग ब्रिटिश शासन की आलोचना के समय भी उसका सहारा लेते थे भावनाओं को जगाने के लिए और आजादी के बाद भी जिस तरह से समय समय पर वोट प्राप्त करने के लिए गोमाता के नाम और बछड़े के नाम को जिस तरह से लिया जाता था, उन सब भावनाओं की कदर कर के मेरे इस बिल को वह पास करें और बिना किसी पार्टीबन्दी के इस सवाल को राष्ट्रीयता का एक अंग बनाएं। मैं वह उद्धरण गोमाता के संबंध में आप को पढ़ कर सुनाता हूं क्योंकि यह ऐसा अवसर आज प्राप्त हुआ और वह भी जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्राप्त हुआ, इस लिए मैं वह श्लोक पढ़ कर आप लोगों को सुनाता हूं। जिससे हमारे ट्रेजरी बेंच के भाई लोगों के दिमाग का कुछ शुद्धीकरण हो और वह इस समस्या को हल करें, इस का पूरी तरह से पालन करें :

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसा
दित्यानां अमृतस्य नाभिः।
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गां
अनागामदितिं वधिष्ट।।

इस का अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है :

The cow is the mother of Rudra, the daughter of Vasu, sister of Aditya and Container of nectar. That is why, oh mother I tell you : do not kill the cow.

यह ऋग्वेद का श्लोक है। हिन्दू संस्कृति में गो माता का रूप जो देखा गया है उस से स्पष्ट हो जाता है किस किस तरह से हमारे राष्ट्र की जनता ने गोमाता को आदर दिया है और उस को किस रूप में देखा है। भारत की संस्कृति जो हजारों वर्षों से बनी हुई है वह भारत माता की पूजा और गोमाता की पूजा के आधार पर ही बनी हुई है। यह केवल भावना के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हमारे ऋषियों और महात्माओं ने गम्भीरता से इसके ऊपर विचार किया है। केवल भावना का ही इस से संबध नहीं है। इस का आर्थिक संबध भी है।

जहां तक मुगलकालीन इतिहास का संबंध है, मैं अपने सामने बैठे हुए सत्ताधारियों से कहना चाहता हूं कि वे जरा मुगलकालीन इतिहास को देखें। मुगलकालीन इतिहास में भी यह बात दर्शाई गई थी कि भारत में गऊ हत्या नहीं होनी चाहिऐ। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आदेश दिया था अगर तुम को भारत वर्ष पर शासन करना है तो गऊ हत्या बन्द करना। ये इतिहास की बातें है, कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो फिर आज कोई कारण नहीं है कि हम उन बातों का आदर न करें और गऊमाता का पूर्ण वध बन्द न करें। कोई कारण नहीं कि ऐसा हल न निकल पाये, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं...

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich) : On a point of order, Sir. The Bill refers to a subject which falls exclusively within List II, that is, State List, item 15—Preservation, protection and improvement of stock..... (*Interruption*)

श्री हुकम चन्द कछवाय (मुरेना) : गऊ बछड़े के नाम से वोट मांगते है अब कहते हैं कि उसका सम्बन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : हम जितने लोग यहां बैठे हुए हैं किसी रूल से गाइड होते हैं। मैंने शुक्ला जी को प्वाइन्ट आफ आर्डर पर बोलने के लिए एलाऊ किया है, यदि आप को कुछ बोलना हो तो परमीशन लेकर बोलिये।

SHRI B. R. SHUKLA : Sir, my submission is that the subject covered by this Bill falls within List II, that is, State List, item 15...

सभापति महोदय : आपने इस के बारे में लिखा भी है, लेकिन यह सवाल आप को इन्ट्रोडक्ट्री स्टेज पर उठाना चाहिए था, अब तो यह बिल इन्ट्रोड्यूस हो चुका है, इस स्टेज पर यह बात नहीं उठाई जा सकती।

SHRI B. R. SHUKLA : May I make a submission ? The objection goes to the very root of the matter. Certainly, it would have been more desirable if it were raised at the introduction of the Bill itself. But there is no bar to raise an objection which goes to the very root of the matter.

श्री नवल किशोर शर्मा (दोसा) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बज रही है...अब कोरम हो गया है।

शुक्ला जी, अगर आप को इस के बारे में कुछ बोलना हो तो टाइम लेकर बोलिये, लेकिन इस स्टेज पर इस को उठाने की परमीशन नहीं देता हूं।

श्री भारत सिंह चौहान : अब मैं आप के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को रखना चाहता हूं। गऊ हत्या के सम्बन्ध में महात्मा गांधी जी ने कहा था। मेरे सामने स्वाराज्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना गऊ हत्या निषेध। उन्होंने यह भी कहा था-मनुष्य की हत्या और गऊ हत्या को मैं समान ही समझता हूं। उनके संघर्ष के बाद हम आजाद हुए, उनकी प्रेरणा से हम आजाद हुए लेकिन उनकी जो भावनायें थी क्या उनको हम

[श्री भारत सिंह चौहान]

अमल में ला रहे हैं ? मैं आपको केवल राष्ट्र-पिता गांधी जी ही नहीं बल्कि जितने महान नेता हुए हैं इस देश में उनके किस तरह के विचार है गो-हत्या निषेध के बारे में वह मैं आप को बतलाना चाहता हूं। स्वराज्य मिलने के पहले हमारे नेता कहते थे कि स्वराज्य मिलने के बाद गोहत्या बन्द हो जाये, यह जनता का स्पष्ट मैनडेट उन्होंने मान लिया था सभी नेताओं के दिल में गाय के प्रति आदर था और गाय वंश के ह्रास होने के सम्बन्ध में बड़े बड़े नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए। कई बातों में तो मैं स्वराज्य से भी बड़ा सवाल इसको मानता हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने और इसी तरह से और भी महान नेताओं ने जो विचार प्रकट किए वह निर्विवाद है और हम को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस काम को हमारे महान नेता लोग बड़ी भावना से, बड़े आदर से और दिल से कहते थे यदि उनके जीवन में वह पूरा नहीं हो सका तो उस को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, हमें चाहिए कि उस काम को पूरा करें। कितनी भी बातें स्वराज्य के बाद 1952 से मैंने देखी, यहां के अच्छे अच्छे माननीय सदस्यों ने गोहत्या निषेध के बारे में प्रयत्न और प्रयास किए परन्तु न जाने किस कारण से, कुछ षडयन्त्र की वजह से और कुछ राजनीतिक स्वार्थ के कारण गोहत्या निषेध का बिल पास नहीं होने पाया। अब भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस बिल को यहां पर पास कीजिए।

जहां तक भावनाओं का सवाल है, मैंने आपको कुछ शब्दों में बताया परन्तु साथ-साथ इसमें आर्थिक सम्बन्ध भी जुड़ा हुआ है। पांच लाख गांव भारत वर्ष है जिनका सम्बन्ध आर्थिक रूप से गाय से और गाय के वंशज बैल से जुड़ा हुआ है पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था इससे जुड़ी हुई है लेकिन हम उसकी अवहेलना करते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते है। यदि हमारे देश में गोहत्या बन्द हो जाये तो हमारी कृषि का कहीं अधिक विकास हो सकता है। आज जो ट्रैक्टर्स और नकली फर्टिलाइजर का दृष्टि-कोण हम अपनाएं हुए हैं और पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास के बारे में जो हमारी एप्रोच है वह भी गलत साबित हो सकती है यदि हमारे देश में गोहत्या बन्द हो जाये। फर्टिलाइजर का जहां तक सम्बन्ध है, पहली बात तो यह है कि हम को दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है और जो नकली खाद हमारे देश में आती है उसके लिए हमें करोड़ो रुपए खर्च करने पड़ते है। लेकिन यह निर्विवाद बात है कि गो माता से जो खाद हमें मिलती है वह जमीन की शक्ति को बढ़ाती है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध है कि गोमाता की खाद से सतत रूप से भूमि की शक्ति बढ़ती जाती है परन्तु नकली खाद के इस्तेमाल से एक समय ऐसा आ सकता है जब कि जमीन की शक्ति ही समाप्त हो जाये। इस लिए आर्थिक दृष्टिकोण से तथा यदि हमारी वास्तव में यह इच्छा है कि खाद्यान्न के मामले में हम इस देश को आत्मनिर्भर बनाये, एक कृषि प्रधान देश होने के कारण हम इसको विकासशील बनाये तो फिर हमें गोमाता की रक्षा करनी चाहिए और गोमाता की हत्या का निषेध सारे भारत वर्ष में होना चाहिए।

16.00 hrs.

अक्सर यह देखा गया है कि कुछ प्रान्तों में गो-हत्या निषेध है लेकिन कुछ में नहीं है जिस का परिणाम यह होता है कि उस पौलिसी से जो देश को लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है, क्योंकि जहां निषेध नहीं है वहां गायों को ले जा कर काटा जाता है, और हमारी सम्पत्ति नष्ट हो रही है। यह हम 25 साल के बाद भी नहीं सम्भाल पाये इसका कारण हमारा निकम्मापन और सोचने का गलत तरीका है।

हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं राष्ट्रीय समस्या हल करने की। मैं तो कहूंगा कि जो हमारा ऐप्रोच है राष्ट्रीय एकता के बारे में वही गलत है। एक नेशनल इंटेग्रेशन कमेटी बनी हुई है और वहां पर राष्ट्रीय एकता की बातें कहीं

जाती हैं । लेकिन व्यावहारिक कोई कदम नहीं उठाया जाता । उस को राजनीतिक मंच बना कर एक दूसरे पर छींटाकसी की जाती है । मेरा सुझाव है कि अगर दरअसल में हम इस देश में हिन्दू मुसलमान एकता के बारे में विचार करें तो अगर गो-हत्या बन्द हो जाये उससे काफी समाधान इसका हो जायेगा । हिन्दू-मुस्लिम नफरत की भावना का मुख्य कारण यह है कि चूंकि मुसलमान गो मांस खाते हैं इसलिए हिन्दू लोग नफरत करते है । तो हम नजदीक आ सकते हैं इस समस्या को हल करने के लिए अगर यहा पर गो-हत्या निषेध हो जाए, और मुसलमान गो मास खाना बन्द कर दे तो हम बहुत नजदीक आ सकते है ।

उत्तर प्रदेश की कमेटी के बारे मे यह कहा जाता है कि उस मे तीन मुसलमान लेजिस्लेटर्स थे और यूनानिमसली उस समिति ने प्रस्ताव पास किया था कि गो हत्या व्यापक रूप से भारत वर्ष मे बन्द होनी चाहिए । इसी प्रकार कई कमेटियाँ स्थापित हुई लेकिन उन के सुझावों पर अमल नही हुआ । केन्द्रीय समिति जो स्थापित हुई थी उसके बारे मे मुझे यह कहना है कि उस में बड़े बड़े नेता लिए गये और इस भावना से वह कमेटी स्थापित हुई कि किस तरह से गो हत्या बन्द करे । लेकिन हुआ क्या कि उसके पीछे भी कुछ ऐसा षडयन्त्र हुआ कि हमारे जो उस विषय मे अथोरिटी रखते थे गोधन के बारे सर्वश्री गोलवालकर जी, शकराचार्य जी और मुकर्जी जी, उन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तरह से हम इस में कामयाब नही हो सकते तो साफ है कि राजनीतिक स्वार्थ काम करने लगते हैं । चुनाव के वक्त हम देखते हैं कि किस तरह से चुनाव जीतने के लिए गो संरक्षण की बातें की जाती हैं । लेकिन बाद में मुकर जाते हैं, और जनसंघ को बदनाम करते है कि यह जनसंघ का इश्यू है । मेरा कहना है कि यह राष्ट्र का इश्यू है । अगर आप ने इस को ठीक से हल नहीं किया तो एक दिन आ सकता है जब देश में विद्रोह हो जाएगा । 1857 में भी इसी तरह की भावना पीछे काम कर रही थी । अगर इस सरकार ने इस समस्या को ठीक तरह से हल नहीं किया तो समय आ सकता है कि देश मे विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है ।

इस लिये मैं इस बिल को पेश करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय समस्या को तुरन्त हल करें अन्यथा इसका परिणाम भयकर हो सकता है ।

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "That the Bill to provide for the prevention of Cow slaughter in India be takan into conside ration"

SHRI K. NAKAYANA RAO (Bobilli) : I stand to oppose this Bill on two constitutional grounds. The first is about the legislative competence, as my hon. friend has already pointed out. The second is on the ground that it violates the Fundamental Right of the minorities or other people whose profession is to live on cow-slaughter or slaughter houses, to be very precise Now, I shall try to elaborate my two points.

Article 48 of the Directive Principles of State policy in our constitution says :

> "The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle."

The word 'State' has been defined in article 12 of the Constitution so as to include both Parliament and the State Legislatures. Therefore, in this context; we have to see which particular agency or constitutional organisation is competent to prohibit cow-slaughter. For that purpose, we have to look at List II in the Seventh Schedule. Entry 15 there says :

> "Preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice."

This shows clearly that it is only the State Legislature which is competent to

[Shri K. Narayana Rao]

deal with this and Parliament is incompetent If only this point had beendebated upon at the introduction stage, this Bill itself could not have come up before us for consideration. But somehow, it has missed that, and so, we have to consider this now, though *prima facie*, it is unconstitutional

Coming to the second point, I have no difference in regard to the various religious and national sentiments expressed by the hon Mover regarding the respect due to th cows But the hon Mover has employed the cow as a camouflage to widen the concept itself. In the Bill, a cow has been defined so as to include he-calves, she-claves, bullocks and bullis Hitherto, we were thinking that cow meant only cow, but now we are told that cow includes bullocks and bulls also It is this widening concept which is disturbing

Now let us consider article 19(1) (g) under which every one has the right to follow his profession, subject to certain reasonable restrictions Precisely, this is my point So, here is a clear case of conflict between the Directive Principles and the Fundamental Rights

Before I go into that, I must state historical facts why we respect the cow So far as the facts stated by the hon Mover are concerned, I have no dispute Even the Moghul rulers had issued a direction that cow slaughter should be prohibited Similarly, in the Vedic literature also, we find some references to the cow The reason was not merely religious, but it was a national and religious sentiment The Vedic society was a pastoral society, and in that pastoral society the major wealth was cattle, since cultivation was their mainstay That was why the cow became an object of veneration and respect Further, the cow was a very mild animal when compared to the birds and other animals Children could go near it, and in the absence of menfolk, even the womenfolk or household women could go and milk the cow, with the result that the cow had become part and parcel of the household That was the reason why we began to attach so much sentiment to the cow and treat her with respect and veneration That was why cow-slaughter had been totally prohibited

Coming to the Directive Principle, it refers to the preservation of milch cattle There is no difficulty in regard to that, and we agree there because it is they that would grow in the future and our agriculture would be based manily on them, and, therefore, one can agree that milch calves should not be killed. There is no dispute

Now coming to milch cow and she-buffaloes, so long as they yield milk, they should not be killed There is no dispute But when they become useless, they become a drain on the economy Similarly certain other animals, so long as they are useful for agricultural purpose, well and good But when they cease to be useful, what to do ?

This was the context in which the matter came before the Supreme Court in two cases, Buddhu *vs* Allahabad Municipality and Abdul Hakim *vs* State of Bihar The legislation enacted by the Bihar Legislature came up for consideration Then it was total prohibition The court also considered the right of the minorities It said, so long as you confine yourself to these four categories, such a law is valid. Beyond that, you are impinging on the right of certain people who live on the slaughter houses functioning

Therefore, my humble submission is that this is beyond the scope of this House, beyond the scope of what the directive principles state with the result that it is bound to be struck down in the Supreme Court So both counts, legislative competence and also hostility to the fundamental rights of minorties, it is bound to fail Hence I oppose it

SHRI B R SHUKLA At the very outset I want to make it clear that I yield to none in my veneration for the cow which has been held in religious esteem since the dawn of history At the same time we should remember that we are not living in the vedic era and medieval India We are living in a secular State under a secular Constitution.

I want to raise objection on constitutional propriety of this Bill being passed by Parliament. As my friend has pointed out, I also raise the same difficulty Entry 15 refers to preservation, protection and

improvement of livestock and that is contained exclusively in the State List. The very cardinal principle of legislation is : यद्यपिशुद्धम लोकसिद्धम ना करणयिम् ना करणयिम् A thing may be very useful, desirable and laudable, but if it is not in consonance with public opinion, legislation should not be passed in that respect.

As for the question whether there is an all-India opinion for passing such a Bill which would prevent cow slaughter, so far as North India is concerned, various State legislatures have passed Bills preventing cow slaughter. Examples are Bihar, UP, Haryana and other States. I had an opportunity to visit Nagaland in the recent past. There we found hundreds of cattle, cows, buffaloes, bulls being driven to the slaughter houses for being butchered. My hon. friend says that relations between Hindus and Muslims shall be cemented and harmonised if we put a ban on cow slaughter. I am surprised that those who advocate ban on slaughter of cows in Delhi, Allahabad and other places in North India do not come forward and propagate and educate public opinion for such a ban in Nagaland or Kerala. The Jan Sangh people who are very vociferous, who go to the extent of making capital out of this issue in North India, dare not go to those parts where the staple food of a large section of the community is beef.

I want that they should go there and create public opinion in favour of such legislation, and if the legislatures in those parts of the country—(*Interruption*)—I do not think any eminent Member of his party has made any *dharna* or anything on this issue. They have been courting arrest in Delhi, Punjab and Haryana and making a political issue and have tried to take advantage of it. But I think hardly any of them visited Nagaland where we find hundreds of cows and buffaloes being driven towards the slaughter-house. Because there you feel isolated, it is very easy to create confusion and tension between Hindus and Muslims. But in the other parts of the country, Jan Sangh and other protagonists of cow protection are silent. I would be happy if Mr. Shri Jagannathrao Joshi and other stalwarts who have such veneration for the cow go and propagate their views in those remote parts of our country, and if we see that there is public opinion coming forth in their favour, certainly the State legislatures there would be compelled to pass such a legislation as has been done in some other parts of the country.

SHRI JAGANNATHRAO JOSHI (Shajapur) : You are propagating both cow and calf all over the country !

SHRI B. R. SHUKLA : There is another point. Even when such a legislation was passed by the Bihar legislature and also by the Uttar Pradesh legislature, the matter was taken to the Supreme Court, and it was laid down by Supreme Court that the legislatures cannot put a blanket bar or blanket ban on the slaughter of cows, because it hits the provision of freedom of trade. So, the Supreme Court has declared the law *ultra vires* in certain respects because it prohibits slaughter irrespective of any consideration.

So far as the sentiments are concerned, they are very valuable. But I am afraid that in this House, which consists of various communities and creeds, we have not reached that stage where we can pursuade all the communities to join in passing a Bill of such a comprehensive nature.

Therefore, I again repeat that the sentiments which have been expressed by the hon. Mover of the Bill are fully shared and supported by the majority of the House, but the legislative incompetence regarding the admissibility of the Bill remains. So long as it is there, what is the use of passing such a Bill which would be declared *ultra vires* the next day, because this Parliament has no power to enact such a legislation ?

श्री झारखन्डे राय (धोसी) : सभापति महोदय मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि गोभक्ति या गो पूजा डान आफ हिस्ट्री से चली आ रही है मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि वैदिक युग से गो भक्ति या गो पूजा, जिस प्रकार वह आज है, चली आ रही है। इन्सान सबसे तरक्कीयाफ्ता जनवर माना जाता है—मानव सबसे विकसित प्राणी है। मानव विकास क्रम में एक युग आया जब यह मानव नीचे उतर कर बन्दर-हनुमान-की पूजा करे, यह इन्सान

[श्री झारखन्डे राय]

नीचे उतर कर एक कम विकसित जानवर गाय, की पूजा करे, यह इंसान और नीचे उतर कर रैप्टाइल, सांप और नाग, की पूजा करे, वह एक कदम और नीचे उतर कर बरगद, पीपल और नीम के पेड की पूजा करे या सबसे नीचे उतर कर पत्थर की मूर्ति और कागज के ताजिये या किसी पुस्तक की पूजा करे, यह मानव प्राणी का अध.पतन है।

ससार की प्राचीनतम पुस्तकें चारो वेद है इसमें कोई दो राये नही हैं । अब तक सिद्ध इतिहास इस बात को मानता है। वेदो मे ऋग्वेद प्राचीनतम है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाये प्राचीनतम हैं, यह भाषा विज्ञान से सिद्ध हो चुका है। उन ऋचनाओ मे यही नहीं कि किसी गो भक्ति या गो पूजा की बात नही है, बल्कि एक ब्रह्म की भी कल्पना उनमे नही की गई है। उनमे केवल नेचर पावर, प्रकृति की शक्तियो अग्नि, वरुण, वायु आदि की पूजा है और उन मत्रो मे उन्ही की प्रशस्ति है। इस सर्वसत्य को अच्छी तरह वैदिक मीमांसाकार, सिद्धान्तकार और प्राच्य दार्शनिक मानते है। ऐसी स्थिति में गोभक्ति और गाय के प्रति पूजा श्रद्धा का भाव हिन्दू सस्कृति मे भी बहुत बाद मे आया है। जहां तक मुझे जानकारी है बारहवी शताब्दी मे जब जयदेव ने गीत गोविन्द लिखा, जब आर्य धर्म का उच्च एव समन्वयवादी आदर्श से स्खलन और पतन हुआ तब यह तमाम कुरीतियां हमारे देश मे पैदा हुई।

मान्यवर, यह बिल जिस हमारे माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं इस अनावश्यक समझता हूं। इससे एक अनावश्यक विवाद पैदा होता है और विशेषकर इस सदन मे ऐसा विधेयक स्वीकृत नही किया जा सकता बहुजातीय बहुधार्मीय, अनेक सस्कृतियो वाला हमारा बहुत बडा देश है। दो हजार मील लम्बा और डेढ हजार मील चौड़ा यह देश है। इस देश मे अनेक धर्मो, संस्कृतियों और उपसस्कृतियो का सम्मिश्रण एवं सगम है। अनेक संस्कृतियां इस देश मे पैदा हुई हैं। इस की एकरूपता इसकी अनेकरूपता में ही है। ऐसा विवाद यहां खडा करना मैं किसी तरह यहां की राष्ट्रीय भावात्मक एकता के लिए उचित नहीं समझता। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स मे लिखा है :

"Its milk is beneficial for the children and the sick, the bullocks are used in agriculture.

जहा तक इसका आर्थिक पहलू है इस मे कोई दो राये नही। लेकिन इसके भी उद्गम स्थल मे आप जाएं तो आप मुझ से सहमत होगे कि कृषि काल मे यह सब चीजे हमारे देश मे आई तो क्या आज उद्योगकाल मे ये सब चीजे उसी प्रकार चल सकती है ? आगे चल कर जब सामूहिक खेती होगी या सहकारी खेती का विकास होगा, जब यत्रो का प्रयोग बडे पैमाने पर होगा तो क्या ये चीजे उसी प्रकार रहेगी जिस प्रकार कई हजार वर्ष पहले हमारे देश मे चलती थी ? ऐसी स्थिति मे हमे दकियानूसीपना नही स्वीकार करना चाहिए। रूढिवादिता मानव विकास के लिए हानिकारक है। देश के लाखो लोगो मे गोभक्ति की भावना है, उसका हमे आदर करना है, परन्तु यह पुरानी भावनाओ के मापदण्ड से सम्भव नही है। यह विषय सूबो के हाथ मे केन्द्र ने सदा से छोड रखा है केन्द्र मे कोई विधेयक या अधिनियम इस पर नहीं बनाया, इसीलिए कि बहुत से ऐसे सबे और अंचल है जहा अनेक अल्पसख्यक लोग— मुसलमान ईसाई अनेक आदिवासी जातियो— के है जिन मे इस प्रकार की इमोशनल भावनायें नही है जो अन्य बहुत से लोगों मे है। तो इस विषय को शुरू से ही केन्द्र ने, आजादी के बाद से ही, सूबो के हाथ मे छोड दिया था। हम लोग अपने बचपन मे इस बात को देख रहे हैं, अब वह परम्परा धीरे-धीरे खत्म हो रही है, क्या यह अच्छी बात है कि मरी हुई गायें और मरे हुए बैलों को हम लोगो के देहात मे हरिजन उठाकर ले जाते रहे है, और आज भी ले जाते हैं और वे उस मरी गाय और मरे हुए बैल का

मांस खाते थे ? क्या वह हिन्दू नहीं थे ? उत्तर भारत में ही चारों ओर ऐसा दृश्य देख लीजिए, दक्षिण की बात तो छोड़ दीजिए । मेरा ख्याल है कि पिछड़े इलाकों में ऐसे लोग हैं जो मानते हैं हिन्दू धर्म को, गंगा की पूजा करते हैं, शिखा भी रखते हैं, लेकिन वह गोमाँस खाते हैं । कुछ सूबों में इस पर रुकावट डाली गई है जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में । लेकिन यह विषय यहां का नहीं होना चाहिए । यहां यह विधेयक लाया नहीं जाना चाहिए । इससे एक अनावश्यक विवाद पैदा होगा । हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब अंग्रेजों का राज हिन्दुस्तान में था तो जहां तक मुझे सूचना है 40 हजार अच्छी गायें और अच्छे बछड़े जो ढाई लाख अंग्रेज फौज थी उसके लिए काटे जाते थे । उस समय वे लोग कहां थे क्यों नहीं आवाज उठाई जो आज अति-गोभक्ति से परेशान हैं ?

मैं एक बात पूछता हूँ-जो हिन्दू धर्म के मानने वाले हैं, अगर उन्हें कहा जाय कि तुम गऊ मत बेचो तो वे क्या मान जायेंगे? सब से बड़े गऊ भक्त हमारे यहां यादव लोग हैं, जो हमारी तरफ अहीर कहे जाते हैं । मैं पूछता हूँ कि कौन से ऐसे यादव और अहीर हैं, जब गऊ दूध देना बन्द कर देती है या बूढ़ी हो जाती है, उसको नहीं बेचते? कोई गऊ को जबरदस्ती तो काटेगा नहीं, जब ये लोग उसको बेच देते हैं तब ही वे उन को कटते हैं । खरीदने वाला उस गाय की अक्षत और माला से पूजा तो करेगा नहीं ? खरीदने वाला जिस काम के लिये गाय खरीदता है, उसको काटना पड़ता है ।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ जो लोग गऊ के नाम पर दंगे कराते हैं अगर एक गऊ कट गई, किसी पागल ने, फिरकापरस्त ने किसी गऊ को काट दिया, उस के आधार पर दंगे करा दिये जायं, कहीं दो चार हिन्दू और मुसलमान भिड़ गये तो उसके अधार पर मार-काट शुरू कर दी जाय-इसके बारे में थोड़ा गम्भीरता से विचार करना होगा, हमें देखना होगा कि इन्सान की कीमत ज्यादा है या गऊ की कीमत ज्यादा है । गऊ का मास सस्ता होता है, भेड़ बकरी का मास महंगा होता है, लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि इस आधार पर दंगे होना कहां तक उचित है । हमें बहुत ज्यादा भावनात्मक चीजों में नहीं बहना चाहिये ।

मैं कछवाय जी को कहना चाहता हूँ, जरा बाल्मीकि रामायण को पढ़ें । यदि उस में गऊ-मास भक्षण की चर्चा न हो तो चाहे जो सजा दें । उस काल में गऊ मांस खाया जाता था और आतिथ्य सत्कार में तो अच्छे बछड़े का मांस खिलाया जाता था । ये सारी चर्चायें हमारे अनेक धर्म-ग्रथों में है । जब इन्सान पहले पैदा हुआ तो मांस नहीं खाता था, वह पेड़ के नीचे रहता था, पेड़ के नीचे पड़े हुए फल-फूल खाता था, फिर उसने फल तोड़ना सीख लिया, फिर उसने पेड़ उगाना सीखा, फिर उसने यह अनुभव किया कि जानवर भी ऐसी चीज है जिसको खा कर जिन्दा रहा जा सकता है, फिर उसने गऊ मांस या दूसरे अनेक प्रकार के मांस खाना शुरू किया ।

इस लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा भावनात्मक बातों में नहीं जाना चाहिये, राष्ट्रीय एकता हमारा सर्वोपरि धर्म है उसकी रक्षा के लिये किसी अल्पसख्यक या हमारे देश के ऐसे अल्पसख्यक समुदाय को जो गोभक्ति को अधिक महत्व नहीं देता या जितना हम आदर करते हैं, उतना आदर नहीं करता, तो जबरदस्ती करें, यह उचित नहीं है । यह चीज समझाने-बुझाने से ठीक हो सकती है, इसके लिये केन्द्रिय अधिनियम नहीं बनना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तावक मननीय सदस्य से अपील करूंगा कि वे इस बिल को वापस ले लें ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा किया जाता है कि संविधान में इस प्रकार का प्रावीजन है कि इस प्रकार के कानून राज्य सरकारें ही

[श्री मूलचन्द डागा]

पारित कर सकती हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है। हम तो सविधान मे परिवर्तन करते आये हैं अगर हमे सविधान मे परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव होती है, तो अब भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिये सवाल सविधान मे परिवर्तन करने का नही है, सवाल यह है कि यह कानून बनना चाहिये या नही बनना चाहिये। जो लोग इस बात का बहाना लगा कर सच्चाई से हटना चाहते है वे अपने तर्क को मजबूती नही देना चाहते हैं। या तो हमे खुले तौर पर कहना चाहिये कि गऊ बध होना चाहिये या खुले तौर पर कहना चाहिये कि गऊ बध बन्द होना चाहिये। हिन्दुस्तान के बहुत से राज्यो ने ऐसा कानून पास कर दिया है।

आज अगर सविधान का बहाना लेकर कोई कुछ कहता है तो उसका मतलब है कि हम दो तरह से बोलते है। आज हिन्दुस्तान मे किसी काश्तकार के घर जाइये तो उसके घर की शोभा गाय से होती है। धर्म के नाते नही बल्कि आर्थिक दृष्टि से हमे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वैसे तो मैं समझता हू किसी भी जानवर का बध नही किया जाना चाहिये। जो मासाहारी है उन्होने पहले जगल के जानवरो को साफ कर दिया। ऐसे लोग कहते है कि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है उसके हिसाब से ही हमे सोचना और चलना चाहिए। मैं कहता हू कि आप आर्थिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार कीजिए। आप जाकर देखिए कि जिन लोगों ने गाय रखी है उनकी क्या हालत है, उनकी हालत कितनी सुधरी है। धर्म के सकीर्ण विवाद मे हमे नही पडना है बल्कि आर्थिक दृष्टि से इसपर विचार करना चाहिए। राजनीतिक लोग तो सोचते हैं कि आज दुनिया की भावना है फिर इस देश के 55 करोड लोगो की यह भावना हो या न हो। आज जो जैनी लोग हैं वे कहते हैं कि मास खाना पाप है लेकिन मैं पाप की दृष्टि से इसको नही सोचता बल्कि मैं मास खाना ही अच्छा नहीं समझता हूँ। जिस प्रकार से हमारा यह शरीर है उसी प्रकार से दूसरे प्राणियो का भी शरीर है। एक प्राणी किसी स्थिति में दूसरे प्राणी को मरते हुए देखना नही चाहता। आप बम्बई के स्लाटर हाउस मे जाकर खडे हो जाये और जानवरो को कटते हुए देखें तो मालूम हो कि क्या हो रहा है। कुछ लोगो के दिमाग मे यह बात न आये लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं उनके प्राण धर्म मे बसते हैं। हिन्दुस्तान बाहर से जितना निर्धन है अन्दर से उतना ही मालदार है। भारतवासियो मे कुछ ऐसा अध्यात्मवाद है, कुछ ऐसी प्रेरणा है कि प्राणियो से उन्हे बहुत प्यार है। सविधान मे हमने जहाँ इतने अमेन्डमेंट किए है वहा एक अमेन्डमेंट और कर देना चाहिए। जो हमारे बडे बडे नेता है, ढेबर भाई है उन सभी लोगो ने एक आवाज से कहा है, हमारे गिरि जी ने और श्रीमती इन्दिरा गाधी जी ने भी कहा है कि गाय की हत्या नही होनी चाहिये। ...(व्यवधान)... इसमे सिम्बल का कोई सवाल नही है, यह आपका दृष्टि कोण गलत है। हम यह सोचते है कि उन प्राणियो का अन्त न किया जाये जो कि हमारे द्वारे पर खडे रहते है। मैं चाहता हू कि हमारे प्रो० शेर सिंह इस बात को साचें आर्थिक दृष्टीकोण से कि गाया गाय को रखना लाभकारी है या हानिकारक है। कई लोगो ने आकडे तैयार किए है कि गाय रखने के बाद किसी को नुकसान नही होता। आर्थि। दृष्टि स गाय रखने से कोई नुकसान नही है बल्कि गाय रखने के बाद लाभ ही होता है। बनर्जी साहब तो कहेंगे कि हमे तो दूध पीना है, गाय रखने से क्या मतलब। ...व्यवधान... तो मेरा कहना यही है कि गाय के बारे से आर्थिक दृष्टि से विचार किया जाय।

SHRI PILLO MODY. I want to correct the impression I do not drink milk I drink whisky.

श्री अनादी चरण दास (जाजपुर) सभापति : जी, जो बिल गो हत्या बन्द करने के बारे में माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं इसका विरोध

करता हूँ क्योंकि इस से झगड़े पैदा हो जायेंगे। क्योंकि भारतवर्ष में बहुत जातियां और धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। हिन्दु धर्म में आदिवासी और हरिजन लोग भी आते है जिन में से अधिकतर लोग मीट खाते हैं। साथ ही आज कल जो बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते है वह भी मीट खाते हैं। इसलिए जो लोग खाना चाहे हैं उनको रोकना नहीं चाहिये और अगर रोकेंगे तो हिन्दू मुस्लिम का झगड़ा शुरु हो जायगा। आदिवासियों पर अधिकारी लोग वैसे ही दबाव डालते है और यदि गो हत्या निषिद्ध कर दी गयी तो उनको और भी अधिक परेशान किया जायगा और आदिवासी लोग उस कारण से नाराज हो जायेंगे कि सरकार ने जो कानून बनाया वह ठीक नहीं है। हां, इसका एक ही तरीका हो सकता है और वह है लोगों को समझाना जो मास खाने वाले है उनको समझाना चाहिये, चाहे वे आदिवासी हो हरिजन हो, या अन्य धर्मावलम्बी हो, कि उन को मीट नहीं खाना चाहिये। इस बारे में कानून बनाना गलत है। गाय जब बूढ़ी हो जाती है और उस को रखना अनइकानामिकल हो जाता है तब ऐसी हालत में उसको बेचना भी कठिन हो जायेगा और उसकी जगह दूसरी गाय लेना भी हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए असम्भव हो जायगा। क्योंकि एक को बेचकर जो पैसा मिलेगा उसी से वह दूसरी खरीद सकत है। साथ ही जिनका व्यवसाय या आजीविका का साधन जानवरों को काटना है, उनको भी जानवर काटने के लिये नहीं मिलेंगे।

जब हम बकरी खाते हैं, भेड़ खाते है, मुर्गी खाते है तो क्या उनको मारने में कष्ट नहीं होता ? इसलिये जिनकी हैबिट है उनको खाने दीजिये। भारतवर्ष के अलावा दूसरे देशों में भी लोग गाय का गोश्त खाते है। इसलिये इस कानून की जरूरत नहीं है।

श्री टी० सोहन लाल (करोल बाग) : सभापति जी, जिस तरीके से यह बिल लाया गया है उस तरीके से मैं इसका विरोध करता हूं। वास्तव में असलियत को देखना चाहिये, आज हालत यह है, कई साथियों ने दिल्ली के बारे में कहा दिल्ली के अन्दर जिन लोगों ने गाय पाल रखी है उनका काम यह है कि सुबह दूध निकाला और गाय माता को एक डंडा मारा और गली में छोड़ दिया। गली के अन्दर जिस तरह से नुकसान करती है वह हम सब को मालूम है। कुछ लोग हैं जिन के घर में एक-एक रोटी गाय के लिये निकाली जाती है। लेकिन उससे गाय का गुजारा नहीं होता। लोग उस का दूध दो रु० किलो के भाव बेच देते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि आप दो रु० किलो दूध देते है तो कम से कम उसको खाना तो दीजिये इस पर लोग तरह तरह की बातें करते है। देखा गया है कि दूध काढ़ने के समय एक छोटी सी बाल्टी में चारा रखेंगे और दूध निकालते ही उस बाल्टी को हटा लेते हैं। तो जो गाय के अनुयायी बने हुए है वह कम से कम ऐसे लोगों को सिखायें कि गाय किस तरह से पाली जाती है, और कैसे उसकी रक्षा की जाती है।

मेरे पास भी गाय है और उसके बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ कि आज भी आर्थिक तौर से दिल्ली जैसे शहर में इतनी महगाई है कि मुझ को उसे गाव भेजना पड़ा। जब तक वह दुबारा न ब्याये तब तक गाय में वह सस्ते में खा सकती है क्योंकि दिल्ली में कुट्टी भी खिलाई जाय तो कम से कम तीन रुपये की कुट्टी लग जायेगी। अगर हम सब हम नुक्ते निगाह से सोचे कि गोहत्या नहीं होनी चाहिये तो मैं दिल्ली के रहने वालों से पूछना चाहता हूं कि जब गाय मर जाती है तो कितने आदमी होते है जो खुद उसको उठा कर फैंकना चाहते हैं। उस वक्त कोई भी मालिक नहीं बनता है और नतीजा यह होता है कि अगर दिल्ली या दूसरे बड़े बड़े शहरों में मुर्दा मवेशियों को ठेके न दिये जाये तो कोई उठाने वाला ही नहीं मिलता। शहरों में जो अछूत है या हरिजन समुदाय है वह कम से कम इतना शक्तिशाली

[श्री टी० सोहनलाल]

जरूर है किसी किसी के दबाव में आ कर मुर्दा उठाने वाला नही है, लेकिन देहातो मे उनसे जबरदस्ती कर के उठवाया जाता है। आये दिन उनके साथ मार-पीट होती रहती है और बुरे से बुरा व्यवहार होता है जिसके कारण उनको मुर्दा मवेशी उठाना पडता है।

मुझे अच्छी तरह याद है राजस्थान के अन्दर जब हम मुर्दा मवेशियो को उठाने का विरोध करने गये तो ठाकुरो ने काठ के अन्दर डाल दिया। काठ मे टाग डाल कर पीछे से हाथ लगाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ उस समय क्या किसी ने वहा जाकर कोई विरोध किया था और यह कहा था कि दूसरे नहीं उठाते तो हम उठायेंगे। हा, यह ठीक है कि प्रोपेगेन्डा करने के लिये देश के अन्दर एक महौल बनाया जाता है। हर एक चीज मे यहां दिखावा होता है। इस मामले मे भी दिखावा होता है। लेकिन ऐसा करने का एक ही मतलब होता है।

कभी कभी कहा गया कि काग्रेस वालो ने गाय बछडा इसलिए लिया कि गाय के नाम से उनको वोट मिल जाये। लकिन मैं कहना चाहता हू कि अब वह पुरानी बात नही रही है जब इस तरह स वोट मिल जाया करते थे। अब तो हमारी जमातो और पार्टियों को उसूलो और सिद्धातो पर वोट मिलते है। मैं दावे से कह सकता हू कि हम चाहे जो भी चुनाव चिन्ह लेते, हम को उसी पर वोट मिलते न कि गाय के ही ऊपर। अगर यह चिन्ह न होता दूसरा होता तो भी हमको ऐसा ही बहुमत मिलता।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : तब लिया क्यो? Is it because his is an old fashioned archaic party ?

श्री टी सोहन लाल मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश के अन्दर इस तरह का बहुमत बनाया जाय कि जो भी दूध देने वाले जानवर हैं उन सब के मारने पर पाबन्दी लगाई जाये। अगर ऐसा किया जाय तब तो यह कुछ माने रखता है। आप को याद होगा कि दिल्ली के अन्दर पाकिस्तान बनने से पहले सिर्फ चन्द दुकानें थी जहां मुसलमानो के जरिये मास बिका करता था। लेकिन अगर आप आज देखें तो सारी दिल्ली के अन्दर कितने हिन्दू रहते हैं जो चौराहो चौराहो पर मास मच्छी वगैरह तल कर बेचते है। अगर कोई सभ्यता के नाम पर, हिन्दू समाज के नाम पर इस मामले मे वावेला मचाये तो वह रह नही सकता।

आज बादली खत्ते पर आप जाय मुर्दा मवेशी फैके जाते है। आज जो उनकी चर्बी होती है, जिसको टेलो कहते हैं उस को लेकर लोग इस्तेमाल करते है खान मे। वह कौन समाज है जो ऐसा करता है? वह वह समाज है जो सिद्धान्त के तौर पर इस बात का ढिढोरा पीटना रहता है कि हम गाय की रक्षा करना चाहते है लेकिन आये दिन उसके साथ बुरे से बुरा व्यवहार करता रहता है। मैं कहना चाहता हू कि आज हमारे माननीय सदस्य लोग हैं जो जनता को समझाने नही जाते है कि वह क्यो इस तरह के काम करती है, लेकिन पार्लियामेंट के अन्दर बिल लाते है ताकि पब्लिसिटी हो जाये। बाहर के लोग सुनेंगे, हिन्दुस्तान मे जगह जगह अखबार जायेंगे तो लोग कहेगे कि जन सघ वाले यह कहते है कि हम गौ माता की रक्षा करना चाहते है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि शुरू मे जो सज्जन गौ रक्षा की बात करते थे, मै उनका लाभ नही लेना चाहता, वह खुद गौ मांस का धन्धा करते थे। जो कि खुद गौ मांस विदेशो को भेजता था, मिलिट्री को सप्लाई करता था और उन्होने एक प्रोपेगण्डा शुरू किया। चन्द लडके थे उन्होने कहा अच्छी बात है, इस को सबक सिखाना चाहिए। उन्होने उनकी कोठी मे गाय घुसेड दी और कहने लगे कि इसकी रक्षा करिये, यह बेकार डोल रही है। यहां पर म्यूनिसिपैलिटी इन अवारा पशुओ को पकड़ कर ले जाती है। नई दिल्ली का तो मुझे मालूम नही है लेकिन पुरानी दिल्ली में जो पशु अवारा

मिलते हैं, जिनके बारे में कोई यह कहने वाला नहीं होता है कि मैं इसका मालिक हूं, उनको वह पकड़ कर ले जाती है। वे पशु या गायें जब दूध देने का वक्त आता है तो लोग उनको घर ले जाते हैं और बाद में छोड़ देते हैं अवारा घूमने के लिए। आए दिन ऐसा होता है। मैं समझता हूं कि जनसंघ पार्टी जिस तरह से चौराहों पर सत्याग्रह या दीगर चीजें करती है वह उस बिल को लाने के बजाय यदि उन लोगों के घरों पर जाकर एजीटेशन करे जो इस तरह की हरकतें करते हैं तो मेरे जैसा आदमी उनके साथ एजीटेशन में शामिल होने के लिए तैयार है। मैं उनकी पार्टी में शामिल तो नहीं होऊंगा लेकिन मैं उनको अपना सहयोग अवश्य दूंगा। ऐसे लोगों की खिलाफत होनी चाहिये जो दूध निकाल कर गायों को निकाल देते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछली शहर) : जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसकी भावना का मैं समर्थन करता हूं। विधेयक का रूप क्या हो, वह दूसरी बात है। गौवध बन्दी हो, इसके सम्बन्ध में विधेयक बनाया जाए, इसका मैं समर्थन करता हूं। यह मेरी अपनी भावना नहीं है बल्कि देश के बहुत से लोगों को मिलने का मौका मुझे मिला है, जनता के बीच में जाने का अवसर मुझे मिला है और मैं जानता हूं कि लोगों की इस विषय में क्या भावनायें हैं। धार्मिक दृष्टि से भी इस पर बहुत सी बातें हुई हैं। यहां बार बार इसकी चर्चा चली है। हमारे देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन का भी एक अंग रहा है। यह कोई छिपी लुकी बात नहीं है।

यह कहा जाता है कि किसी सम्प्रदाय विशेष पर इस तरह का विधेयक लाने से बुरा असर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उस सम्प्रदाय के लोगों ने जब भारत पर शासन किया तब गोवध पर प्रतिबन्ध लगाया था और इस तरह से देश के लोगों की भावनाओं का उन्होंने आदर किया था। इस वास्ते इस तरह की बात कहना मैं नहीं समझता हूं कि उचित होगा। देश के लोगों की वास्तविक भावनाओं का आदर होना चाहिये। इस बात को संविधान ने भी आदर दिया है और व्यवस्था की है कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। दुधारू जानवर जहां पर उन्होंने कहा है वहां भी शब्द गौवंश आया है। जब गाय शब्द को लिया जाता है तो उसके अन्दर, गाय, बैल, बछड़ा, बछिया आदि सब आ जाते हैं। इस तरह से संविधान बनाने वालों के मन में भी यह भावना थी कि इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इस तरह का विधेयक लाया गया और वहां इसको पास किया गया और लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए देश के कई प्रान्तों में इस तरह का बिल पास किया गया। कुछ ही प्रान्त ऐसे हैं देश में जहां इस तरह का बिल पास नहीं हुआ है। वहां पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। एक सम्प्रदाय के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाए तो दूसरे सम्प्रदाय के लोगों की भावनाओं का भी आदर होना चाहिये। और फिर यह किसी सम्प्रदाय के लोगों की भावनाओं का ही सवाल नहीं है। यह देश की तरक्की का सवाल है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि का सबसे ज्यादा दारोमदार गाय पर है। गाय से जो बैल पैदा होता है उससे हम खेती करते हैं। आज चाहे जितने आप ट्रैक्टर तैयार कर लें काम नहीं चलेगा। आज भी बहुत कुछ बैलों पर हमारी खेती निर्भर करती है। यही नहीं उससे हमें गोबर मिलता है, हमारे खेतों को उर्वरा शक्ति मिलती है। आज देश में दूध की कमी महसूस की जा रही है। दूसरे देशों को देखते हुए हमारे देश में दूध कम है। आखिर यह कमी क्यों है? हमारा देश गर्म देश है। हमारे देश की प्रकृति गाय के जितने अनुकूल है, उतनी भैंस के अनुकूल नहीं है। इस प्रकृति को देख कर गाय की उपयोगिता को देख कर ही प्राचीन काल से लेकर, वैदिक काल

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

से लेकर अब तक गाय का महत्व रहा है। मैं श्री झारखन्डे राय की राय से सहमत नहीं हो सकता हू। उन्होंने यह दिखलाया है कि गाय का मास खाना विकास की परम्परा मे आया है बल्कि मै तो समझता हू कि उल्टी बात है। अगर पुराने जमाने मे कुछ लोग खाते रहे भी हो, तो विकास की परम्परा मे हम दूसरी ओर बढते रहे है और लोग उत्तरोत्तर न केवल गाय के मास को, बल्कि दूसरे मास को भी, छोडते गये है।

महात्मा गाधी ने गोवध- बन्दी के बारे मे प्रत्यक्ष रूप से कोई आन्दोलन तो नही चलाया, लेकिन गौ सेवा सघकायम करके उन्होने इस बात की ओर सकेत किया था कि हमे इस दिशा मे बढना चाहिए। जो लोग केवल गोवध-बन्दी का आन्दालन करते है और गाय के पालत और सेवा पर जोर नही देते है, हम उनस सहमत नही हो सकत है। हम को जोर देना चाहिए कि गाव का अच्छे ढग से पालन हो और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जाये। आज गाय का दूध पीन वाले ता बहुत से लोग है, खास तौर से शहर मे रहने वाले, लेकिन जब गाय पालने की बात आती है, तो वे उससे दूर रहते है।

आज इस बात पर जोर देना चाहिए कि अगर हम गाय का दूध पीना चाहते है और यह समझत हैं कि स्वास्थ्य के लिए दूध अत्यन्त उपयोगी है, तो गाय के पालन और सवद्धन के लिए उचित कदम उठाये जायें। और दृष्टि से तो छोडिये, खेती के लिए तो ट्रैक्टर रखे जा सकते हैं, लेकिन दूध के लिए हम कौन सी ऐसी मशीन बनाने जा रहे है, जिस से दूध पैदा किया जा सके और गाय के दूध का लाभ उठाया जा सके? अगर कभी ऐसा हो सका, तो मैं नही कह सकता, लेकिन मुझे तो यह लगभग असम्भव लगता है। लेकिन अगर मशीन से दूध पैदा किया भी गया, तो वह इतना महगा होगा कि उसकी कीमत साधारण आदमी नही दे सकेगे।

मेरे बचपन मे एक रुपये का डेढ सेर तक घी बिकता था। बहुत पुरानी बात नहीं है। बाद में जब डालडा चला, तो लोगों ने समझा कि इसमे घी का भाव सस्ता रहेगा। लेकिन आज डालडा छः रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। वह घी से कई गुना महगा हो गया है। लेकिन उससे घी के भाव के सम्बन्ध में कोई अन्तर नही पडा है। इसलिए कृत्रिम दूध से काम चलाना असम्भव होगा।

अगर दूध घी नही रहा, तो अन्न पर अधिक जोर पडेगा। और अन्न को पैदा करने के लिए ज्यादा जमीन की जरूरत पडेगी। बिना अन्न के लोग जिन्दा रह सके, अभी ऐसा कोई आविष्कार नही हुआ है। अभी तक ऐसी कोई मशीन नही बन सकी है कि किसी पहाड का पत्थर उस मशीन मे पीसे और देहरादून का चावल निकले, या कोई मिट्टी लाकर उसमे पीसे और गेहू का आटा बन जाये। यह सब पैदा करने के लिए खेती करनी होगी और खेती के लिए हमारा सबसे बडा साधन बैल है। कभी कोई दूसरा युग आ जाये जिस मे हम ट्रेक्टरो आदि का उपयोग कर सकें, तो वह अलग बात है, लेकिन पचासो बरसो तक हमको बैल की आवश्यकता होगी। इन दृष्टिकोणो मे गाय की उपयोगिता बार-बार सामने आती है।

जो लोग धार्मिक भावना के कारण गोवध-बन्दी का विरोध करना चाहते है, वे इस के आर्थिक पहलू को देखे और प्रचार के द्वारा, कानून बना कर गाय की रक्षा के लिए जो भी प्रबन्ध और सहायता कर सकें, करे। हम जानते है कि बहुत से कानून ऐसे बने है, जो ठीक से अमल मे नही लाये गये हैं। चोरी, डकैती और कतल आदि के बारे मे कानून बनाये गये हैं। उन कानूनो का पूरा पालन नही होता है, लेकिन फिर भी हम ने कानून बना कर इन अपराधो को रोकने का प्रयत्न किया है। इसी तरह अगर देश की आर्थिक स्थिति और देश के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रतिबन्ध लगा सकें

तो मैं समझता हूं कि देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा और देश की जनता इस का स्वागत करेगी। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान तक में भी जो एक धर्म के नाम पर शासन चला रहा है, गोवध कोई छूट नहीं है। बल्कि उन्होंने भी बहुत सीमा तक प्रतिबन्ध लगाया है। इस तरह की बात को ध्यान में रखते हुये मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई विधेयक सरकारी तौर पर ही लाया जाय। दुर्भाग्य है कि नशाबन्दी और गोवध-बन्दी ऐसे विषय जो केन्द्र के विषय होने चाहिए थे वह प्रान्तीय विषय में रख दिये गये है। अंग्रेजी साम्राज्य के समय में जो भी हालत रही हो, आज हमको नये सिरे से इस पर विचार करना होगा। अगर केवल इसलिये इस विषय में केन्द्र विधेयक नहीं ला सकता है कि यह प्रान्तीय विषय हैं तो जैसे बहुत से और ऐसे विधेयक लाए गए है जो हमारी सीमा के अन्दर नहीं थे, लेकिन उन को सीमा के अन्दर ला कर वैधानिक रूप दिया गया है, ऐसे ही इस सम्बन्ध में भी हम विधान में संशोधन लाकर इस तरह का स्वरूप इसे दे सकते हैं, इस को केन्द्रीय विषय बना सकते हैं। इसलिए यह काम किया जाना चाहिए और इस तरह का कोई विधेयक लाया जाय जिससे गोवध बन्दी की मूल भावना जो संविधान में दी है उस को हम पूरा कर सकें और देश की भावनाओं का सम्मान कर सकें।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति जी, अखिल भारतवर्ष में या पूरे जगत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो दूध देने वाली गाय का वध या हत्या करने वाला हो। यह बहुत गलत है क्योंकि किसी भी दूध देने वाले या हल मे जोते जाने वाले पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए।...(व्यवधान)... दूसरी बात यह है कि यह मुसलमान और हिन्दू का मामला नहीं है। अगर मुसलमानों से पूछा जाय कि गोहत्या बन्द करनी चाहिए या नहीं तो 95 प्रतिशत इसके फेवर में नही होंगे। वह इस के ऊपर बैन लगाने के वास्ते तैयार हो जायेंगे। और हिन्दुओं में 80 प्रतिशत लोग इस की हत्या को बैन करने के हक में हैं। तो 20 प्रतिशत हिन्दू और 5 प्रतिशत मुसलमान ऐसे हैं जो मास खाते हैं गाय का...(व्यवधान)... पूरी दुनियाँ मे जितने मवेशी हैं उनके 25 परसेंट हिन्दुस्तान में हैं। उनके चरने के वास्ते कोई जमीन बाकी नहीं रही है और उनको कोई दाना नहीं देता है हमारे यहां अब तो अकाल आने से स्थिति ऐसी हो गई है कि साउथ इन्डिया में आधे तो मवेशी मर गये है। हमारे पास 25 करोड़ मवेशी हैं और हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी जमीन हैं उस मे दस करोड़ से ज्यादा मवेशी नही पल सकते। यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिये। तो दस करोड़ से ज्यादा जितने भी मवेशी हमारे पास होंगे उनको हम खिला नहीं सकते और हम को उस से बड़ी तकलीफ होने वाली है। यह एक आर्थिक समस्या है। नेहरू जी ने बहुत सही कहा था कि हिन्दुस्तान में 5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत के ऊपर लोग इस तरह के बसते है जिन में कोई तो गाय मत मारो, ऐसा बोलता है, कोई बन्दर मत मारो, ऐसा बोलता है, कोई सांप मत मारो ऐसा बोलता है, कोई चूहा मत मारो, ऐसा बोलता है, इस देश में कितने किस्म के लोग हैं...

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर) : सभापति महोदय, सदन में कोरम नही है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठे हैं। घंटी बज रही है...

1700 hrs.

The Chair is only concerned with the quorum, When there is no quorum, I am helpless. So, there is no quorum, For want of quorum, the House is adjourned, to meet tomorrow at 11 a. m.

17.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, Septemper 2, 1972/ Bhadra 11, 1894 Saka)

Sumer Printing Press, New Delhi-18—1.10.72—1010